

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा०),
उत्तर प्रदेश।

माध्यामिक शिक्षा अनुभागः(8)

लखनऊ : दिनांक: 05 जनवरी, 2022

विषय:- प्रोजेक्ट अंलकार के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान के संबंध में गाइड-लाइन्स।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक:-अर्थ(4)/29/2021-22 दिनांक 11.06.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2— वर्ष 2021 में इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट-1921 के 100 वर्ष पूर्ण हो गये हैं। इण्टरमीडिएट एजूकेशन एक्ट-1921 के माध्यम से स्थापित उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद विश्व के विशालतम परीक्षा बोर्ड्स मे से एक है। उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्राचीन भव्य अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय स्थापित है। वर्तमान में प्रदेश मे 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय संचालित है। इन संचालित विद्यालयों मे से कई विद्यालयों में अब मरम्मत/अनुरक्षण की नितांत आवश्यकता है। समय के साथ कई अवस्थापना सुविधाओं को भी विकसित/आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता भी पायी गयी है। उक्त के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा प्रोजेक्ट अंलकार के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों के सुदृढीकरण कराये जाने के साथ-साथ प्रथम बार अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, अनुरक्षण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहयोगी अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-72 लेखाशीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा-02 माध्यमिक शिक्षा-110 —गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता-04 —सहायता प्राप्त अशासकीय अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थाना सुविधा-35—पूँजीगत परिसम्पत्तियों हेतु अनुदान मद मे ₹0 200.00 करोड का प्राविधान किया गया है। उक्त प्राविधानित धनराशि से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढीकरण किये जाने के उद्देश्य से प्रबन्ध समिति द्वारा मैचिंग धनराशि देने पर सहयोगी अनुदान प्रदान किये जाने तथा पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपयोग सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान के संबंध में निम्नवत् गाइड लाइन्स निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले अशासकीय सहायता प्राप्ता माध्यमिक विद्यालय—

- (क) विद्यालय, जिनकी दिनांक 01.04.2021 को 75 वर्ष की अवधि पूर्ण है तथा विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में है। विशेष परिस्थितियों में शिक्षा निदेशक(मा०) के अनुमोदन के उपरान्त 75 वर्ष से कम के ऐसे विद्यालय, जिनके भवन अत्यधिक जर्जर अवस्था में हैं, को भी सम्मिलित किया जायेगा।
- (ख) विद्यालय जिनके प्रबन्धतंत्र शासकीय अनुदान के बराबर की मैटिंग राशि अपने स्रोतों से देने हेतु सहमत है।
- (ग) 300 से कम छात्र संख्यां वाले विद्यालय योजना से आच्छादित नहीं होंगे। योजना से आच्छादित होने वाले विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र संख्या के अनुसार अनुदान राशि निम्नवत अनुमन्य होगी:-

क्र०स०	छात्र संख्या	अनुमन्य अनुदान धनराशि की अधिकतम सीमा
1.	300 से 500	रु० 25.00 लाख
2.	500 से 1000	रु० 50.00 लाख
3.	1000 से 1500	रु० 75.00 लाख
4.	1500 से 2000	रु० 100.00 लाख(रु० 1.00करोड)
5.	2000 से ऊपर	रु० 125.00 लाख (रु० 1 करोड 25 लाख)

(2) प्रक्रिया—

- (क) विद्यालय की फोटो तथा आवश्यतकताओं को निर्धारित वेबसाईट पर अपलोड करने की व्यवस्था:-

शिक्षा निदेशक(मा०) द्वारा पोर्टल विकसित किया जायेगा तथा समस्त जनपदों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को कार्य समयबद्ध रूप से कराये जाने एवं कार्य की गुणवत्ता आदि के संबंध में अपने स्तर से दिशा निर्देश निर्गत किये जायेंगे। निर्धारित पोर्टल पर प्रबन्धक/प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय की फोटो एवं काराये जाने वाले मरम्मत/अनुरक्षण/पुनर्निर्माण/निर्माण कार्यों का कार्यदायी संस्था द्वारा तैयार किया गया मदवार आगणन अपलोड किया जायेगा तथा उसकी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) जनपदीय समिति:-

प्रत्येक जनपद में निम्नवत समिति गठित की जायेगी:-

1	स्बधित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	अधिशासी अभियंता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग	सदस्य
3	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य सचिव
4	वित्त एवं लेखाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा	सदस्य

जनपदीय समिति के कार्य एवं दायित्व –

उक्त समिति द्वारा –

- (1) जनपद में स्थित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में से मान्यता की तिथि के अनुसार दिनांक 01.04.2021 को 75 वर्ष से ऊपर के प्राचीनतम से नवीनतम के क्रम में विद्यालयों की सूची छात्र संख्या सहित तैयार की जायेगी ।
- (2) विद्यालय प्रबन्धक द्वारा दिये गये मांग पत्र के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों का मदवार आगणन नामित कार्यदायी संस्था से तैयार करवाया जायेगा तथा पोर्टल पर अपलोड करवाया जायेगा ।
- (3) टास्कफोर्स का गठन कर विद्यालयों का सर्वेक्षण करवाकर मॉग के औचित्य की पुष्टि की जायेगी ।
- (4) टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय में कराये जाने वाले औचित्यपूर्ण, अतिआवश्यक कार्यों का निर्धारण एवं कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन को अन्तिम रूप दिया जायेगा तत्पश्चात शिक्षा निदेशक(मा०) को संस्तुति भेजी जायेगी ।
- (5) शिक्षा निदेशक(मा०) से अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यदायी संस्था को धनराशि आवंटन की कार्यवाही करायी जायेगी ।
- (6) विद्यालय में कराये जाने वाले अनुमोदित कार्यों का सतत अनुश्रवण किया जायेगा ।
- (7) विद्यालय में प्रत्येक चरण में कराये गये कार्यों के उपरान्त निर्धारित पोर्टल पर फोटो अपलोड की जायेगी ।
- (8) विद्यालय में कराये गये कार्यों की गुणवत्ता के लिए जनपदीय समिति उत्तरदायी होगी ।

(ग) कार्यदायी संस्था का निर्धारण:-

जिलाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या ई-8-1092 / दस:2015-1074 / 2012 दिनांक 08.09.2015 एवं शासनादेश संख्या ई-8-130 / दस-2015—53 / 2005 दिनांक 18.09.2015 के अनुसार विद्यालयवार कार्यदायी संस्था का निर्धारण किया जायेगा । नामित कार्यदायी संस्था द्वारा विद्यालय प्रबन्धक के मदवार मॉग के अनुसार आगणन तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) बनाया जायेगा ।

(घ) विद्यालयों का सर्वे/सत्यापन हेतु टास्क फोर्स:-

सत्यापन कराये जाने वाले कार्यों की मॉग के विद्यालयों का सर्वे एवं विद्यालयों हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक अथवा एक से अधिक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा, जो निम्नवत् होगी:-

1.	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग	सदस्य
3.	संबंधित तहसील का तहसीलदार	सदस्य
4.	राजकीय इण्टर कालेज का प्रधानाचार्य	सदस्य सचिव
5.	अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय का प्रधानाचार्य(विचाराधीन विद्यालय को छोड़कर)	सदस्य

टास्क फोर्स के कार्य एवं दायित्व-

1. टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सर्वे किया जायेगा। सर्वे के उपरान्त टास्क फोर्स द्वारा विद्यालय में कराये जाने हेतु प्रबन्धक द्वारा वांछित कार्यों एवं अवस्थापना सुविधाओं के संबंध में पूर्ण विवरण, औचित्य एवं कार्यदायी संस्था द्वारा दिये गये मदवार आगणन का परीक्षण, विद्यालय का स्थलीय सत्यापन के साथ आख्या जनपदीय समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।
2. कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त विद्यालय में योजनात्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों का अनुश्रवण तथा कार्य कराने के उपरान्त कराये गये कार्यों की गुणवत्ता का सत्यापन एवं मूल्यांकन सहित जनपदीय समिति को आख्या प्रस्तुत किया जाना।

(ड) विद्यालय में प्राथमिकता पर वरीयता क्रम में कराये जाने वाले कार्य:-

- i. जर्जर भवन को तोड़कर नये भवन का निर्माण/ बाउण्ड्रीवाल का नवनिर्माण (विद्यालय की न्यूनतम आवश्यकतानुसार)

कक्ष	माप मीटर में	लागत लाख रु० में
शिक्षण कक्ष	8X6	10.79
प्रयोगशाला कक्ष	9X6	12.14
वैकल्पिक कक्ष	6X5	6.74
प्रशासकीय कक्ष	4X3	2.70
पुस्तकालय कक्ष	8X6	10.79
कामन कक्ष	6X5	6.74
विद्यालय के बाहर दीवार 1.5 मीटर ऊंचाई	Running meter	Rs 6870 प्रति मीटर

नवीन निर्माण की लागत— (कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ०प्र० लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (भवन वर्ग) के अनुसार)

नोट-

1. भवन की लागत में कन्टिनजेंसी, सेन्टेज चार्ज, लेवर सेस, जी०एस०टी० इत्यादि नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।
2. उपरोक्त लागत में भवन की ऊंचाई 3.60 मी० प्रस्तावित है तथा एन्टीटरमाइट, एक अतिरिक्त लिंथ ऊंचाई, आन्तरिक जलापूर्ति एवं सेनेट्री, आन्तरिक विद्युतीकरण, पावर प्लग वायरिंग, वाह्य विद्युत सर्विस कनेक्सन, सिविल सर्विस कनेक्सन की मदों का प्राविधान समिलित है।

ii भवन मरम्मत:-

- 1— छत की मरम्मत/पुनर्निर्माण
- 2— फर्श की मरम्मत/पुनर्निर्माण
- 3— दरवाजे, खिड़की की मरम्मत/पुनर्निर्माण

- 4- शौचालय की मरम्मरत/पुनर्निर्माण/निर्माण(बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक)
- iii. बाउण्ड्रीवाल मरमत/पुनर्निर्माण
- iv. रंगाई-पुताई(विद्यालय की बाहरी दीवारों एवं बाउण्ड्रीवाल)
- v. उक्त के अतिरिक्त यदि जिलाधिकारी को विशेष आवश्यकता प्रतीत होती है तो शिक्षा निदेशक(मा0) के अनुमोदन के उपरान्त मल्टीपरपज हाल इत्यादि का निर्माण कार्य भी कराया जा सकता है।

(3) अनिवार्य शर्तें—

विद्यालय प्रबंधतंत्र इस आशय का प्रस्ताव पारित करेगी कि:-

- i- शिक्षा निदेशक(मा0) द्वारा विद्यालय में कराये जाने वाले वांक्षित कार्यों की स्वीकृति एवं आगणन के अनुसार, विद्यालय छात्र संख्याक के अनुसार जिस स्लैरेब के लिए अर्ह होगा, विद्यालय मे जीर्णोद्धार, मरम्मखत, पुनर्निर्माण व निर्माण कार्य कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि के बराबर मैचिंग राशि निर्धारित खाते में जमा किये जाने के लिये सहमत है।
- ii- मैचिंग राशि विद्यालय के खाते में उपलब्ध है।
- iii-जब मैचिंग राशि निर्धारित खाते में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया जायेगा, तब तक जमा कर दी जायेगी।
- iv-शिक्षा निदेशक(मा0) द्वारा स्वीकृत कार्य पर ही व्यरय किया जायेगा। विद्यालय प्रबंधक समिति द्वारा पारित उक्त0 प्रस्ताव के आधार पर विद्यालय प्रबंधक शपथ पत्र बनवायेगा तथा पोर्टल पर अपलोड करेगा तथा उसकी प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को देगा।

उदाहरण:- यदि विद्यालय की छात्र संख्या 300 से 500 के मध्य है, तो संबंधित संस्था को राज्य सरकार से अधिकतम रु0 25.00 लाख की अनुदान राशि अनुमन्य होगी, जिसमें विद्यालय प्रबंधक द्वारा अधिकतम रु0 25.00 लाख मैचिंग राशि के रूप में दी जा सकती है। इस प्रकार विद्यालय में अधिकतम रु0 50.00 लाख का कार्य कराया जा सकता है।

इसी प्रकार विद्यालय की छात्र संख्या 300 से 500 के मध्य है, जिसमें राज्य सरकार से अधिकतम अनुमन्य अनुमानित धनराशि रु0 25.00 लाख मिल सकती है। परन्तु विद्यालय प्रबंधक द्वारा वांछित कुल रु0 30.00 लाख के कार्य को ही आगणित किया गया है। तो संबंधित विद्यालय को राज्य सरकार से रु0 15.00 लाख की अनुदान राशि अनुमन्य होगी, जिसमें विद्यालय प्रबंधक द्वारा रु0 15.00 लाख मैचिंग राशि के रूप में दिया जाना होगा।

नोट- जहां प्रबंध समिति अस्तित्व. में नहीं है, वहां प्राधिकृत नियंत्रक दवारा शपथ पत्र दिया जायेगा।

(4) भुगतान की प्रक्रिया:-

- (1) वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय-व्ययक में प्रश्नगत मानक मद में प्राविधानित धनराशि रु0 200.00 करोड को चरणबद्ध तरीके से आवश्यकतानुसार शिक्षा निदेशक(मा0) को अवमुक्त किया जायेगा।
- (2) विद्यालय में कराये जाने वाले कार्यों हेतु इस योजनान्तर्गत जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वित्त एवं लेखाधिकारी के पद नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाता खोला जायेगा।
- (3) शिक्षा निदेशक(मा0) के स्तर पर जनपदीय समिति से प्राप्त विद्यालयवार आगणन का परीक्षण/कार्य की स्वीकृति निम्नवत समिति द्वारा किया जायेगा:-

1	शिक्षा निदेशक(मा०), उ०प्र० लखनऊ	अध्यक्ष
2	वित्त नियंत्रक(मा०), उ०प्र० प्रयागराज	सदस्य
3	अपर शिक्षा निदेशक(मा०), उ०प्र० प्रयागराज	सदस्य
4	संयुक्त शिक्षा निदेशक (शिविर), उ०प्र० लखनऊ	सदस्य
5	सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक	सदस्य सचिव
6	नामित कार्यदायी संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य

उपरोक्त समिति की संस्तुति के अनुसार शिक्षा निदेशक(मा०) द्वारा विद्यालयवार कार्य स्वीकृत करते हुए संबंधित विद्यालय के कार्यों हेतु आगणित धनराशि का प्रथम चरण में 15 प्रतिशत जिला विद्यालय निरीक्षक को स्वीकृत/अवमुक्त की जायेगी, जिसे जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संयुक्त खाते में जमा किया जायेगा। शेष आगणित धनराशि अग्रतर 02 किश्तों में प्रथम चरण की भौति स्वीकृत/अवमुक्त/जमा किया जायेगा।

- (4) विद्यालय प्रबन्धक द्वारा उक्त संयुक्त खाते में शिक्षा निदेशक(मा०) द्वारा विद्यालय के स्वीकृत कार्य हेतु मदवार आगणित धनराशि के प्रथम चरण में 15 प्रतिशत की धनराशि जमा की जायेगी। शेष आगणित धनराशि अग्रतर 02 किश्तों में प्रथम चरण की भौति संयुक्त खाते में जमा की जायेगी।
- (5) संयुक्त खाते से तीन चरणों में जमा धनराशि को प्रत्येक चरण में जमा होने के उपरान्त जिलाधिकारी के अनुमोदन से जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वित्त एवं लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से उसी प्रकार तीन चरणों में अर्थात प्रथम किश्त 15 प्रतिशत, द्वितीय किश्त 50 प्रतिशत तथा तृतीय किश्त 35 प्रतिशत की धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जायेगी। कार्यदायी संस्था से 70 प्रतिशत उपयोग के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर टास्क फोर्स से प्रथम किश्त के कार्य का सत्यापन होने पर द्वितीय किश्त अवमुक्त की जायेगी। इसी प्रकार तृतीय किश्त अवमुक्त की जायेगी।
- (6) किसी कारणवश विद्यालय में कार्य की स्वीकृति न हो पाने की दशा में वित्तीय वर्ष की समाप्त के अधिकतम 01 माह के अन्दर विद्यालय प्रबन्धक द्वारा दी गयी मैचिंग राशि, जो पूर्णतः/अंशतः शेष बची हो, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा विद्यालय को वापस कर दी जायेगी।

(5) अनुश्रवण:-

प्रदेश के विद्यालयों में समय से एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य कराये जाने का उत्तरदायित्व शिक्षा निदेशक(मा०), उ०प्र० एवं संबंधित जिलाधिकारी का होगा। शिक्षा निदेशक(मा०), उ०प्र० एवं जिलाधिकारी द्वारा समय से कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में अनुश्रवण किया जायेगा। इस हेतु शिक्षा निदेशक(मा०) के स्तर से नोडल अधिकारी भी नामित किया जायेगा।

मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा प्रत्येक सप्ताह अपने मण्डल से संबंधित जनपदों के विद्यालयवार कार्यों की प्रगति का अनुश्रवण करते हुए प्रगति रिपोर्ट शिक्षा निदेशक(मा०) को प्रस्तुत की जायेगी।

अतः प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,


 (आराधना शुक्ला)
 अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- 1— महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2— समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० |(ई—मेल)
- 3— वित्त नियंत्रक(मा०), उ०प्र० शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 4— अपर शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०, प्रयागराज।
- 5— समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ०प्र० | (द्वारा शि०नि०मा०)
- 6— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र० | (द्वारा शि०नि०मा०)
- 7— गार्ड बुक।

/8/ ^

आज्ञा से,
20/01/2022
(जय शंकर दुबे)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक(मा०),
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभागः(8)

लखनऊ : दिनांक: ०५ जनवरी, 2022

विषय:- प्रोजेक्ट अंलकार के अन्तर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान के संबंध में समय-सारणी। महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-10 / 15-8-2022-3035 / 2019 दिनांक 04.02.2022 का संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं हेतु सहयोगी अनुदान के संबंध में गाइड-लाइन्स निर्गत की गयी है।

2- इस संबंध में गाइड-लाइन्स के अनुसार क्रियाकलाप की समय-सारणी निम्नवत है-

क्र०	कार्यवाही बिन्दु	कार्य पूर्ण करने हेतु निर्धारित दिवस
(1)	(2)	(3)
1. प्रथम चरण में कार्यवाही—		
1.1	जिलाधिकारी द्वारा टास्क फोर्स का गठन एवं विद्यालयों की सूची अन्तिम किया जाना तथा जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था का निर्धारण किया जाना।	
1.2	संस्था प्रबन्धक द्वारा निर्धारित वेबसाईट पर मांग पत्र, प्रबन्धतंत्र का प्रस्ताव शपथ पत्र, निर्धारित कार्यदायी संस्था का मदवार आगणन एवं फोटोग्राफ्स सहित अपलोड करते हुये मूल अभिलेख संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाना।	शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से 05 दिवस में
1.3	संस्था द्वारा प्रस्तुत मॉग पर टास्क फोर्स समिति द्वारा स्थलीय सत्यापन, मदवार आगणन का परीक्षण करते हुए आख्या जनपदीय समिति को प्रस्तुणत करना।	
1.4	टास्क फोर्स द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को जनपदीय समिति द्वारा अन्तिम कर शिक्षा	

	निदेशालय को संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराना।	
1.5	जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वित्त एवं लेखाधिकारी के पद नाम से विद्यालयवार संयुक्त खाता खोला जाना।	
1.6	शिक्षा निदेशक(मा०) के स्तर पर परीक्षण/जनपदीय समिति से प्राप्त सूची पर अन्तिम अनुमोदन प्रदान करना/कराये जाने वाले कार्यों पर वित्तीय स्वीनकृति प्रदान करना।	संयुक्त खाता खोले जाने की तिथि से 02 दिवस में
1.7	शिक्षा निदेशक(मा०) द्वारा संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक को सहयोगी अनुदान राशि की प्रथम चरण में 15 प्रतिशत की धनराशि को अवमुक्त/संयुक्त खाते में करवाया जाना।	
1.8	विद्यालय प्रबंधक द्वारा प्रथम चरण के अनुदान राशि के बराबर 15 प्रतिशत मैचिंग राशि जमा करना।	शासकीय सहयोगी अनुदान राशि जमा होने की तिथि से 05 दिवस में
1.9	जिलाधिकारी के अनुमोदन से जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वित्त एवं लेखाधिकारी के पद नाम से खुले संयुक्त खाते से कार्यदायी संस्था के खाते में प्रथम किश्त की धनराशि हस्तान्तरित करना।	
1.10	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किश्त से कार्य पूर्ण करना।	
1.11	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रथम किश्त से कराये गये कार्य पूर्ण कर उपभोग प्रमाण पत्र जनपदीय समिति को प्रस्तुत किया जाना।	कार्यदायी संस्था को धनराशि हस्तान्तरित होने की तिथि से 01 माह में
1.12	प्रथम किश्त से कराये गये कार्यों का टास्क फोर्स द्वारा सत्यापन एवं अनुश्रवण।	
1.13	टास्क फोर्स द्वारा जनपदीय समिति को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना तथा जनपदीय समिति द्वारा शिक्षा निदेशक(मा०) को द्वितीय किश्त अवमुक्त किये जाने हेतु संस्तुति प्रेषित किया जाना।	
2.	द्वितीय चरण में कार्यवाही—	
2.1.	शिक्षा निदेशक(मा०) द्वारा सहयोगी अनुदान राशि की द्वितीय किश्ते 50 प्रतिशत अवमुक्त/संयुक्त खाते में करवाया जाना।	
2.2	विद्यालय प्रबंधक द्वारा अनुदान राशि के बराबर द्वितीय किश्त 50 प्रतिशत मैचिंग राशि जमा करना।	जनपदीय समिति की संस्तुति प्राप्त होने की तिथि से 05 दिवस में
2.3	जिलाधिकारी के अनुमोदन से जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वित्त एवं लेखाधिकारी के पद नाम से खुले संयुक्त खाते से द्वितीय किश्त की धनराशि कार्यदायी संस्था के खाते में धनराशि हस्तान्तरित करना।	
2.4	कार्यदायी संस्था द्वारा द्वितीय किश्त से कार्य पूर्ण करना।	
2.5	द्वितीय किश्त से कराये गये कार्यों का टास्क फोर्स द्वारा सत्यापन एवं अनुश्रवण।	कार्यदायी संस्था को धनराशि हस्तान्तरित होने की तिथि से 01 माह में
2.6	टास्क फोर्स द्वारा जनपदीय समिति को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना तथा जनपदीय समिति द्वारा शिक्षा निदेशक(मा०) को तृतीय किश्त अवमुक्त	

	किये जाने हेतु संस्तुति प्रेषित किया जाना।	
3.	तृतीय चरण में कार्यवाही—	
3.1	शिक्षा निदेशक(मा०) द्वारा सहयोगी अनुदान राशि की तृतीय किश्त 35 प्रतिशत अवमुक्त / संयुक्त खाते में करवाया जाना।	जनपदीय समिति की संस्तुति प्राप्त होने की तिथि से 05 दिवस में
3.2	विद्यालय प्रबंधक द्वारा अनुदान राशि के बराबर तृतीय किश्त 35 प्रतिशत मैचिंग राशि जमा करना।	
3.3	जिलाधिकारी के अनुमोदन से जिला विद्यालय निरीक्षक एवं वित्त एवं लेखाधिकारी के पद नाम से खुले संयुक्त खाते से तृतीय किश्त की धनराशि कार्यदायी संस्था के खाते में धनराशि हस्तान्तरित करना।	
3.4	कार्यदायी संस्था द्वारा तृतीय किश्त से कार्य पूर्ण करना।	कार्यदायी संस्था को धनराशि हस्तान्तरित होने की तिथि से 01 माह में
3.5	तृतीय किश्त से कराये गये कार्यों का टास्क फोर्स द्वारा सत्यापन एवं अनुश्रवण।	
3.6	टास्क फोर्स द्वारा अन्तिम रूप से जनपदीय समिति को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना तथा जनपदीय समिति द्वारा शिक्षा निदेशक(मा०) को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।	

3— इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या—10/15-8-2022-3035/2109 दिनांक 04.01.2022 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्त समय—सारणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

10/01/2022
 (आराधना शुक्ला)
 अपर मुख्या सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

- 1— महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2— समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०। (ई—मेल)
- 3— वित्त नियंत्रक(मा०), उ०प्र० शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 4— अपर शिक्षा निदेशक (मा०) उ०प्र०, प्रयागराज।
- 5— समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ०प्र०। (द्वारा शि०नि०मा०)
- 6— समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ०प्र०। (द्वारा शि०नि०मा०)
- 7— गार्ड बुक।

आज्ञा से,
10/01/2022
 (जय शंकर दुबे)
 विशेष सचिव।